Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 14, 2015
(PHALGUNA 23, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th March, 2015

No. 6—HLA of 2015/14.—The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 6—HLA of 2015

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In Schedule 1-A to the Indian Stamp Act, 1899, under column "Proper Stamp Duty", against article 27— Amendment of Schedule 1-A to Central Act 2 of 1899.

(a) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25% or rupees twenty five lakhs whichever is lower.";

(b) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25% or rupees twenty five lakhs whichever is lower.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per article 27, schedule 1 of Indian Stamp Act, 1899 stamp duty on debenture is 0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25% or Rs. 25 lacs whichever is lower. The State Government felt that there is loss to State Exchequer due to this limit of Rs. 25 lacs. The Haryana Government issued notification on 1st October, 2013 removing the cap of Rs. 25 lacs on debenture.

The said notification was challenged in the Punjab and Haryana High Court on the ground that the State Government is not competent to enhance the stamp duty on debenture being in the union list (list-1) under seventh schedule entry No. 91 of Indian Constitution. After challenging the matter in the Punjab and Haryana High Court, the matter was examined by the State Government. Therefore the matter was referred to Law and Legislative Department and Advocate General, Haryana for obtaining their views. As per their advice it would be appropriate to withdraw the said amendment in order to avoid unpleasant order by the Hon'ble High Court.

Keeping in view the opinion of Law and Legislative Department and advice of Advocate General, Haryana, the Administrative Department (Revenue and Disaster Management Department) intends to withdraw the said notification of 1st October, 2013, column 3 (ii) only on debenture under article 27, schedule 1 of Indian Stamp Act, 1899.

CAPT. ABHIMANYU,
Revenue Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 14th March, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2015. There is no adverse effect on State Exchequer because no additional income received from this head till date. The existing and the proposed rates of stamp duty are as under :—

Sr. No.	Nature of Instrument	Existing Rates	Proposed Rates
1.	Debenture	0.5% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25%	0.5% per year of the face value of the maximum of 0.25% or rupees twenty-five lakhs whichever is lower.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 6—एच.एल.ए.

Hkkjrh; LVkEi ¼gfj;k.kk l'kks/ku½ fo/ks;d] 2015
Hkkjrh; LVkEi vf/kfu;e] 1899 dk gfj;k.kk jkT;kFk] vkxs l'kks/ku djus ds fy, fo/ks;d

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1क में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'', खाने के नीचे, अनुच्छेद 27 के सामने — 1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1क का संशोधन।

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''अधिकतम 0.25 प्रतिशत के अध्यधीन डिबेंचर के अंकित मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा पच्चीस लाख रुपये जो भी कम हो।";

(ख) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

''अधिकतम 0.25 प्रतिशत के अध्यधीन डिबेंचर के अंकित मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा पच्चीस लाख रुपये जो भी कम हो।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1–के आर्टिकल 27 के अनुसार डिबेन्चर पर स्टाम्प ड्यूटी डिबेन्चर के वास्तविक मूल्य पर प्रतिवर्ष 0.05 प्रतिशत है, अधिकतम 0.25 प्रतिशत और 25 लाख रुपये में से जो भी कम हो। राज्य सरकार ने महसूस किया है कि 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। डिबेन्चर पर 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा हटाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

उक्त अधिसूचना को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची (सूची नं0 1) की प्रविष्टि 91 के तहत राज्य सरकार डिबेन्चर पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने में सक्षम नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस मामले को चुनौती देने के बाद, इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई थी। इसके उपरान्त मामला विधि विभाग महाधिवक्ता, हरियाणा को उनकी मन्त्रणा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। उनकी मन्त्रणा अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अप्रिय आदेश से बचने के लिए उक्त संशोधन को वापस लिया जाना उचित होगा।

विधि विभाग की राय और महाधिवक्ता, हरियाणा की मन्त्रणा के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग (राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 27 की अनुसूची 1 के तहत उक्त अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2013, कालम 3 (ii) को केवल डिबेन्चर पर वापस लेने का इच्छुक है।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 मार्च, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) बिल, 2015, राज्य के खजाने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मद में अब तक कोई अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान व प्रस्तावित स्टाम्प ड्यूटी रेट निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	मद	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	डिबेन्चर	डिबेन्चर के अंकित मूल्य पर 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 0.25 प्रतिशत	डिबेन्चर के अंकित मूल्य पर 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये जो भी कम हो।

53181–H.V.S.–H.G.P., Chd.